

न्यायालय:- तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग- 2, गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.
(समक्ष : पंकज शर्मा)

व्य. वाद क्रमांक :- 130-ए/15

संस्थित दिनांक :- 05/11/15

01. जसवन्त सिंह पुत्र मतैया कोरी उम्र 57 वर्ष
 निवासी :- ग्राम चक बरथरा, तहसील-गोहद, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)
 ----- वादी

विरुद्ध

01. रामदीन कोरी पुत्र मवासी कोरी उम्र 71 वर्ष
 02. महेश कोरी पुत्र रुपराम कोरी उम्र 41 वर्ष
 निवासीगण:- ग्राम चक बरथरा, तहसील-गोहद, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)
 03. म.प्र.राज्य द्वारा कलेक्टर, जिला-भिण्ड (म.प्र.)
 ----- प्रतिवादीगण

// निर्णय //

{आज दिनांक :- 25/02/2017 को घोषित किया}

(01). वादी जसवन्त सिंह द्वारा यह वाद प्रतिवादी रामदीन एवं अन्य के विरुद्ध भूमि सर्वे क्रमांक 1205 क्षेत्रफल 0.42 हैक्टेयर स्थित ग्राम बरथरा, परगना-गोहद, के संदर्भ में स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष वावत् प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि को निर्णय के आगे की कड़िकाओं में वादग्रस्त भूमि नाम से सम्बोधित किया गया है।

(02). प्रकरण में यह तथ्य प्रतिवादीगण द्वारा विवक्षित रूप से स्वीकृत एक तथ्य है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 1205 का बंदोवस्त के पूर्व सर्वे क्रमांक 393 था।

(03). स्वीकृत तथ्यों से इतर वादी के अभिवचन संक्षेप में सारतः इस प्रकार हैं कि वादग्रस्त भूमि पर वादी के पिता मौरुसी कृषक होकर आधिपत्यधारी थे, उनकी मृत्यु होने के बाद वादी उसके पिता का उत्तराधिकारी होने के कारण वादग्रस्त भूमि पर मौरुसी कृषक होकर आधिपत्यधारी है और वादी को वादग्रस्त भूमि में स्वत्व उद्भूत हो चुके है। वादग्रस्त भूमि का बंदोवस्त पूर्व सर्वे क्रमांक 393 क्षेत्रफल 0.449 अर्थात् दो बीघा तीन विश्वा था। बंदोवस्त के पश्चात् निर्मित नवीन सर्वे क्रमांक 1205 क्षेत्रफल 0.420 हो गया है। वादग्रस्त भूमि वादी के पिता को तत्कालीन जमींदार से जमींदारीकाल में मौरुसी कृषक के रूप में प्राप्त हुई थी। जब तक वादी के पिता मतैया जीवित

रहे तब तक वह मौरुसी कृषक की हैसियत से वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्यधारी होकर खेती करते रहे। जमींदारी समाप्ति के पश्चात् वादी के पिता के मौरुसी कृषक होने की वजह से विधि के प्रभाव से उन्हें वादग्रस्त भूमि पर भूमि स्वामी स्वत्व उद्भूत हो गये, लेकिन राजस्व अभिलेख में उनका नाम मौरुसी कृषक के रूप में ही अंकित रहा। प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर कभी भी किसी भी हैसियत में खेती नहीं की, ना ही वादग्रस्त भूमि पर उनका कोई कब्जा-वर्ताब रहा। प्रतिवादीगण द्वारा कभी भी वादग्रस्त भूमि पुर्नग्रहण की कोई कार्यवाही नहीं की।

(04). वादी के वाद-पत्र के शेष तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वादी ने वादग्रस्त भूमि पर भूमि स्वामी स्वत्व प्राप्त करने हेतु न्यायालय तहसीलदार गोहद के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जो कि प्रकरण क्रमांक 02/04-05/अ-46 जसवन्त विरुद्ध रामदीन आदि पर संचालित हुआ और जिसमें पारित आदेश दिनांक : 17/06/2005 द्वारा वादी को वादग्रस्त भूमि पर भूमि स्वामी घोषित किया गया, जिसकी प्रविष्टि वादग्रस्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में की गई। लेकिन न्यायालय तहसीलदार गोहद ने प्रति-प्रेषित प्रकरण का निराकरण करते समय वादी के स्वत्व को न मानते हुए मौरुसी कृषक के रूप में वादी का नाम हटाने का आदेश दिया, जिसके विरुद्ध उसके द्वारा अपील प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 24/14-15 अपील माल में पारित आदेश दिनांक : 28/10/2015 के माध्यम से निरस्त कर दी गई। अपील निरस्त हो जाने के बाद दिनांक : 01/11/2015 को प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने के लिए आये और वादी से कहने लगे कि हम अपील जीत गये हैं, इसलिए अब हम वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करेंगे। वादग्रस्त भूमि के दिनांक : 02/10/1959 के राजस्व अभिलेख में वादी के पिता का नाम मौरुषी कृषक के रूप में दर्ज है, इसलिए उसे विधि के प्रभाव से स्वत्व उद्भूत हो जाने के कारण न्यायालय तहसीलदार गोहद को उसे वादग्रस्त भूमि का स्वत्वधारी मानना चाहिए था, ऐसा ना मानने से तहसीलदार गोहद का आदेश दिनांक : 17/11/2014 एवं एसडीओ गोहद द्वारा अपील में पारित आदेश दिनांक : 28/10/2015 वादी के विरुद्ध शून्य है। अतः वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि इस आशय की घोषणा की जाये कि वादी को वादग्रस्त भूमि में मौरुषी कृषक से भूमि स्वामी स्वत्व विधि के प्रभाव से उद्भूत हो गये हैं एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से निषेधित किया जाये कि वह वादग्रस्त भूमि में वादी के आधिपत्य एवं कृषि कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना करें और वादग्रस्त भूमि का किसी भी प्रकार से अंतरण न करें, ना ही किसी अन्य के माध्यम से कराये।

(05). स्वीकृत तथ्यों से इतर वादी के समस्त अभिवचनों को विनिर्दिष्ट रूप से अस्वीकार करते हुए प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा वादोत्तर में किये गये अभिवचन संक्षेप में सारतः इस प्रकार हैं कि वादी के पिता ने वादग्रस्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में मौरुसी कृषक के रूप में गलत प्रविष्टि करा ली है। वादी या उसका पिता कभी भी वादग्रस्त भूमि का आधिपत्यधारी

नहीं रहा। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति है, जिस पर प्रतिवादीगण स्वामी होकर आधिपत्यधारी है। वादी द्वारा राजस्व अधिकारियों से सांठ-गांठ कर स्वयं को वादग्रस्त भूमि का स्वामी घोषित करा लिया, जिसे न्यायालय एसडीओ गोहद के प्रकरण क्रमांक 61/05-06, अपील माल में पारित आदेश दिनांक : 16/01/2006 के माध्यम से निरस्त किया जा चुका है। वादी द्वारा एसडीओ गोहद के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया प्रकरण क्रमांक 24/14-15 अपील माल में पारित आदेश दिनांक : 28/10/2015 के माध्यम से निरस्त किया जा चुका है। दिनांक : 01/11/2015 को वादी-प्रतिवादीगण के मध्य वादग्रस्त भूमि के संबंध में कोई बातचीत या विवाद नहीं हुआ। इस प्रकार वादी कभी भी वादग्रस्त भूमि का मौरूसी कृषक नहीं रहा। फलतः उपरोक्तानुसार वादी का वाद असत्य होने से सव्यय निरस्त किया जाये।

(06). प्रतिवादी क्रमांक 03 म.प्र.राज्य पर समन की सम्यक् तामील के उपरांत भी उसकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ और उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है।

(07). उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर दिनांक :- 27/07/2016 को वाद-प्रश्न विरचित किये गये, जो कि निम्नलिखित हैं, जिनके समक्ष विवचेना के उपरांत निष्कर्ष अंकित किए गये हैं :-

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या वादी वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 1205 क्षेत्रफल 0.42 हैक्टेयर स्थित ग्राम बरथरा, परगना-गोहद का स्वामी एवं आधिपत्यधारी है?	“अप्रमाणित”
02.	क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा वादग्रस्त भूमि में निहित वादी के अधिकारों में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है?	“अप्रमाणित”
03.	क्या वादी द्वारा वाद का समुचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है?	“प्रमाणित”
04.	अंतिम निष्कर्ष एवं व्यय?	वाद निर्णय के पद क्रं0 20 के अनुसार प्रमाणित नहीं पाये जाने से निरस्त किया गया।

/// निष्कर्ष एवं आधार ///

वाद प्रश्न क्रमांक : 01

(08). इस वाद प्रश्न के संदर्भ में वादी जसवन्त वा.सा.01 ने उसके अभिवचनों के अनुरूप शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण कथन प्रस्तुत किया है। साक्षी बदन सिंह वा.सा.02 ने वादी के अभिवचनों के अनुरूप उसका मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। वादी ने उसके वाद पत्र के समर्थन में न्यायालय तहसीलदार गोहद के प्रकरण क्रमांक 02/04-05/अ-46 में पारित आदेश दिनांक 17/06/2005 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.01, उक्त प्रकरण क्रमांक 02/04-05/अ-46 में प्रति-प्रेषण के पश्चात् पारित आदेश दिनांक : 17/11/2014 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.02, सम्वत् 2007 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.03, सम्वत् 2008 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.04, सम्वत् 2009 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.05, सम्वत् 2010 लगायत 2014 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.06, सम्वत् 2015 लगायत 2019 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए कार्यालय तहसीलदार भिण्ड के अभिलेखागार में प्रस्तुत नकल आवेदन की मूलप्रति प्र.पी.07, सम्वत् 2020 लगायत 2024 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.08, सम्वत् 2026 लगायत 2030 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.09, सम्वत् 2031 लगायत 2035 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.10, सम्वत् 2036 लगायत 2040 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.11, सम्वत् 2041 लगायत 2045 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.12, सम्वत् 2051 लगायत 2055 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.13, सम्वत् 2056 लगायत 2060 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.14 एवं धारा 80 सीपीसी का नोटिस प्र.पी.15 प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी रामदीन प्रति.सा.01 ने उसके वादोत्तर में किये गये अभिवचनों के अनुरूप मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी साक्षी कैलाश प्रति.सा.02 ने प्रतिवादी के अभिवचनों का समर्थन करते हुए मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है।

(09). वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि न्यायालय तहसीलदार गोहद के प्रकरण क्रमांक 02/04-05/अ-46 जसवन्त विरुद्ध रामदीन आदि में पारित आदेश दिनांक 17/06/2005 प्र.पी.01 के माध्यम से वादी जसवन्त को वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 1205 का स्वामी घोषित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रतिवादी क्रमांक 01 रामदीन एवं प्रतिवादी क्रमांक 02 महेश के पिता रूपराम द्वारा न्यायालय एसडीओ गोहद के न्यायालय में अपील क्रमांक : 61/05-06/अपील माल प्रस्तुत किया गया, जिसमें पारित आदेश दिनांक 16/10/2006 के माध्यम से न्यायालय तहसीलदार गोहद के प्रकरण क्रमांक 02/04-05/अ-46 जसवन्त विरुद्ध रामदीन आदि में पारित आदेश दिनांक 17/06/2005 को अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु न्यायालय तहसीलदार गोहद को प्रति-प्रेषित किया गया। प्रति-प्रेषण पश्चात् न्यायालय तहसीलदार गोहद के प्रकरण क्रमांक 02/04-05/अ-46 में दिनांक 17/11/2014 को निर्णय प्र.पी.02 पारित किया गया, जिसके माध्यम से वादी जसवन्त का वादग्रस्त भूमि का भूमिस्वामी दर्ज किये जाने का आवेदन निरस्त किया गया। जिसके विरुद्ध वादी द्वारा न्यायालय एसडीओ गोहद के समक्ष

अपील क्रमांक 24/14-15/अपील माल प्रस्तुत की गई, जिसमें पारित आदेश दिनांक : 28/10/2015 के माध्यम से न्यायालय तहसीलदार गोहद के प्रकरण क्रमांक 02/04-05/अ-46 में पारित आदेश दिनांक : 17/11/2014 को पुष्ट किया गया और वादी की अपील निरस्त की गई।

(10). वादी की ओर से प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि के बंदोवस्त के पूर्व के सर्वे क्रमांक 393 के सम्वत् 2007 एवं 2008 अर्थात् वर्ष 1951-52 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.03 एवं प्र.पी.04 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उसमें कॉलम नम्बर 03 में वादग्रस्त भूमि के स्वामी के रूप में किन्हीं लालाराम का नाम अंकित है। वादी द्वारा उसके अभिवचनों में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया गया कि वादग्रस्त भूमि उसके या उसके पिता मतैया द्वारा उक्त भूमि स्वामी लालाराम से पट्टे पर ली गई हो या किसी अन्य प्रकार से आधिपत्य में प्राप्त की गई हो। वादी द्वारा उसके अभिवचनों में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया गया कि उसके या उसके पिता मतैया द्वारा उक्त भूमि स्वामी लालाराम को कोई लगान आदि अदा किया गया हो।

(11). वादी की ओर से प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि के बंदोवस्त के पूर्व के सर्वे क्रमांक 393 के सम्वत् 2007 एवं 2008 अर्थात् वर्ष 1951-52 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.03 एवं प्र.पी.04 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उनके कॉलम नम्बर 05 में कृषक के कॉलम में प्रतिवादी क्रमांक 01 के पिता एवं प्रतिवादी क्रमांक 02 के पितामह मवासी का नाम पुख्ता मौरुसी कृषक के रूप में अंकित है। जबकि वादी के पिता मतैया का नाम कॉलम नम्बर 07 में उपकृषक के रूप में अंकित है।

(12). वादी की ओर से प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि के बंदोवस्त के पूर्व के सर्वे क्रमांक 393 के सम्वत् 2009 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.05 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उसके कॉलम नम्बर 05 में कृषक के कॉलम में प्रतिवादी क्रमांक 01 के पिता एवं प्रतिवादी क्रमांक 02 के पितामह मवासी का नाम पक्का कृषक के रूप में अंकित है। जबकि वादी के पिता मतैया का नाम कॉलम नम्बर 07 में उपकृषक के रूप में अंकित है।

(13). वादी की ओर से प्रस्तुत सम्वत् 2010 लगायत 14 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.06 में वादग्रस्त भूमि के पक्के कृषक के रूप में प्रतिवादी क्रमांक 01 के पिता एवं प्रतिवादी क्रमांक 02 के पितामह मवासी का नाम अंकित है और वादी के पिता मतैया का नाम कृषक या उपकृषक के रूप में अंकित नहीं है। सम्वत् 2015 लगायत 19 का वादग्रस्त भूमि का खसरा अभिलेख उपलब्ध न होने के आधार पर वादी द्वारा प्रकरण में पेश नहीं किया जा सका है। वादी की ओर से प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि के बंदोवस्त के पूर्व के सर्वे क्रमांक 393 के सम्वत् 2020 लगायत 2024 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.08 के कॉलम नम्बर 03 में प्रतिवादी क्रमांक 01 के पिता एवं प्रतिवादी क्रमांक 02 के पितामह मवासी का नाम वादग्रस्त भूमि के भूमि स्वामी

के रूप में तथा वादी के पिता मतैया का नाम कॉलम नम्बर 04 में दर्ज है, परन्तु वह भूमि स्वामी के पट्टाधारी या मौरुषी कृषक के उपपट्टाधारी किस रूप में दर्ज है, यह प्रविष्टि में स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार वादी की ओर से प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि के खसरे की सम्वत् 2026 लगायत 2030 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.09 में वादग्रस्त भूमि के स्वामी के रूप में मवासी का नाम कॉलम नम्बर 03 में एवं उसी के नीचे वादी के पिता मतैया का नाम उपकृषक के रूप में दर्ज है। वादी की ओर से प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि की सम्वत् 2031 लगायत 2035, सम्वत् 2036 लगायत 2040, सम्वत् 2041 लगायत 2045, सम्वत् 2051 लगायत 2055 एवं 2056 लगायत 2060 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपियों प्र. पी.10 लगायत 14 में कॉलम नम्बर 03 में प्रतिवादी क्रमांक 01 रामदीन आदि का नाम भूमि स्वामी के रूप में एवं वादी के पिता मतैया का नाम उपकृषक के रूप में अंकित है।

(14). तर्क के लिए अगर वादी द्वारा प्रस्तुत सम्वत् 2007, 2008 एवं 2009 की खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपियों को आधार मान कर भी यदि वादी के पिता मतैया को वादग्रस्त भूमि के sub-tenant मवासी का tenant of sub-tenant होना मान लिया जाये तो भी मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 185 (01)(दो)(घ) के प्रावधान अनुसार ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के प्रवृत्त होने के समय अर्थात् 02 अक्टूबर 1959 को अर्थात् सम्वत् 2015 में मध्यभारत क्षेत्र में मध्यभारत जमींदारी समाप्ति विधान वर्ष 1951 में यथा परिभाषित स्वामी की कोई भूमि उपकृषक (sub-tenant) या उपकृषक के कृषक (tenant of sub-tenant) के रूप में धारण करता है, वह मौरुसी कृषक (occupancy tenant) कहलायेगा। धारा 185 (02) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के प्रावधान के अनुसार जहाँ धारा 185 (01)(दो)(घ) में निर्दिष्ट कोई भूमि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के प्रवृत्त होने के समय किसी उपकृषक (tenant of sub-tenant) के वास्तविक कब्जे में है, वहाँ ऐसी कृषक (sub-tenant) को ही ऐसी भूमि का मौरुसी कृषक (occupancy tenant) समझा जायेगा, ना कि उपकृषक (tenant of sub-tenant) को। इस प्रकार धारा 185 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के प्रावधान तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि संबंधी खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपियों की प्रविष्टियों के अनुसार मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता अस्तित्व में आने की तिथि पर प्रतिवादी क्रमांक 01 के पिता एवं प्रतिवादी क्रमांक 02 के पितामह मवासी वादग्रस्त भूमि के मौरुसी कृषक (occupancy tenant) हुये, ना कि वादी के पिता मतैया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि के सम्वत् 2020 लगायत 2024 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.08 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि संभवतः उपरोक्त विवेचित कारण से ही प्रतिवादी क्रमांक 01 के पिता एवं प्रतिवादी क्रमांक 02 के पितामह मवासी को मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता वर्ष 1959 के प्रवृत्त होने पर मौरुषी कृषक माना

गया और मवासी को भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किये गये, ना कि वादी के पिता मतैया को और इसी कारण सम्वत् 2020 लगायत 2024 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.08 में मवासी का नाम वादग्रस्त भूमि के भूमि स्वामी के रूप में अंकित है।

(15). हस्तगत वाद वादी जसवंत द्वारा उसके पिता मतैया की मृत्यु पर मतैया का उत्तराधिकारी होने के कारण वादी को वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व अर्जित होने के आधार पर प्रस्तुत किया है। परन्तु वादी जसवंत वा.सा.01 ने उसके अभिवचनों या साक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि उसके पिता मतैया की मृत्यु कब हुई, ना ही उसके द्वारा इस वावत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। उल्लेखनीय है कि जब उपरोक्त विवेचना के आलोक में वादी के पिता मतैया को ही वादग्रस्त भूमि में कोई स्वत्व अर्जित नहीं हुये, तो वादी जसवंत को वादग्रस्त भूमि में स्वत्व अर्जित होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(16). वादी की ओर से इस संबंध में एक न्यायदृष्टांत हरविलास विरुद्ध जण्डेल सिंह एवं अन्य 1987 आर.एन.167 प्रस्तुत किया, जिसमें माननीय मध्य-प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिधारित किया गया है कि यदि किसी जमींदार से भूमि धारण करने वाले व्यक्ति को मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के प्रवृत्त हो जाने पर मौरुषी कृषक के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और मूल भूमि स्वामी द्वारा संहिता के प्रवृत्त होने के एक वर्ष के अन्दर उक्त मौरुषी कृषक से भूमि के पुर्नः ग्रहण की कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी के समक्ष संस्थित नहीं की जाती है, तो धारा 190 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के अनुसार मौरुषी कृषक को भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। हस्तगत प्रकरण में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रवृत्त होने के समय मौरुषी कृषक के अधिकार वादी के पिता मतैया को प्राप्त ना होकर प्रतिवादी क्रमांक 01 के पिता एवं प्रतिवादी क्रमांक 02 के पितामह मवासी को प्राप्त हुये थे, इसलिए इस न्यायदृष्टांत का कोई लाभ वादी को प्रदान नहीं किया जा सकता। उक्त न्यायदृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह भी अभिधारित किया गया है कि धारा 117 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के अनुसार खसरे की प्रविष्टियों के तब तक शुद्ध होने की उपधारणा की जाती है, जब तक की इस उपधारणा को खण्डित नहीं कर दिया जाता। वादी द्वारा प्रस्तुत खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपियों प्र.पी.03, प्र.पी.04, प्र.पी.05, प्र.पी.06, प्र.पी.08 लगायत प्र.पी.14 की प्रविष्टियों की शुद्धता के खण्डन के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है, इसलिए भी इस न्यायदृष्टांत का कोई लाभ वादी को प्रदान नहीं किया जा सकता।

(17). फलतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वह वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 1205 क्षेत्रफल 0.42 हैक्टेयर स्थित ग्राम बरथरा, परगना-गोहद का स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष “अप्रमाणित” के रूप में दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक : 02

(18). चूँकि वाद प्रश्न क्रमांक 01 के निष्कर्ष के अनुसार वादी को वादग्रस्त भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी होना प्रमाणित नहीं पाया गया है, इसलिए प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा वादग्रस्त भूमि में निहित वादी के अधिकारों में अवैध हस्तक्षेप उत्पन्न किये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष भी “अप्रमाणित” के रूप में दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक : 03

(19). हस्तगत स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष बावत प्रस्तुत किया गया है। स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष के वाद में वाद मूल्यांकन का सिद्धान्त धारा :- 7 (IV) c न्यायालय शुल्क अधिनियम में उपबंधित है जिसके अनुसार वादी को उनके द्वारा चाहे गये अनुतोष के मूल्यांकन करने की स्वतंत्रता है तथा उसे किये गये मूल्यांकन पर मूल्यानुसार न्यायशुल्क अदा करना होता है। वादी द्वारा अनुतोष का कुल मूल्यांकन 900/- रुपये निर्धारित किया गया है तथा मूल्यानुसार 600/- रुपये न्याय शुल्क अदा किया गया है, जो कि पर्याप्त एवं उचित है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष “प्रमाणित” के रूप में विनिश्चित किया जाता है।

{ अंतिम निष्कर्ष एवं व्यय }

- (20). उपरोक्त साक्ष्य विवेचना से यह स्पष्ट है कि वादी उसका वाद प्रमाणित करने में असफल रहा हैं। फलतः वादी का वाद निरस्त किया जाता है।
- (21). वादी स्वयं के साथ-साथ प्रतिवादीगण का भी वाद-व्यय वहन करेगा।
- (22). अभिभाषक शुल्क म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के नियम 523 के अनुसार अथवा प्रमाणित किये जाने पर दोनों में से जो भी कम हो देय होगा।
- (23). तदनुसार जय पत्र बनाया जावे।

निर्णय आज दिनांकित एवं
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया।

(पंकज शर्मा)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

(पंकज शर्मा)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.